भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GA 541597

(प्रारुप–"अ")

हम मनीष कुमार एवं अमित कुमार कमशः अध्यक्ष एवं सचिव आदर्श शिक्षा समिति सहियापुर मझिला कन्नौज शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है –

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा गौतम बुद्ध कालेज आफ फार्मेसी सहियापुर मझिला कन्नौज नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम आदर्श शिक्षा समिति सहियापुर मझिला कन्नौज में गाटा संख्या 2819घ कुल रकबा 2.104 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या2819घ कुल रकबा 2.104 हेक्टेयर भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना की बैठक दिनांक 04.04.2022 द्वारा पारित किया जाना है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इसमें फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठयक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठयक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/ विश्वविद्यालय/ आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रुम, प्रयोगशाला एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगी।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्देशों/ आदेशों का भलीभाति पालन करुंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।

13. मै घोषणा करता/करती हू कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में पूर्ण रुप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/ दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐंसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वंय उत्तरदायी होऊँगा।

Sworn before me on 1-9-23 at bout by Sri Manish Kumar President Rajdeep Shiksha Samiti Sahibganj Kannauj who heard & understood the Contents admitted by Shri B.S.S who is personally known to me. Received Rs 35/- as fee.

(PARMANAND TIWARI) NOTARY Kannauj 1.9.23

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष